न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

विचारीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 332/16
निर्णय दिनांक: 20.04.18

1. सूरजकरण पुत्र हनुमान जाति कुम्हार नि0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र हनुमान
2. बोदूराम पुत्र हनुमान
3. तारामन्द पुत्र हनुमान
समस्त जाति कुम्हार नि0 सांभरलेक तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य तथा कब्जे काश्त व खातेदारी की अविभाजित आराजी खं0नं0 583/2214 रकबा 16 बिस्वा वाकै करवा सांभरलेक तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा, वादी सं0 1 लगा0 4 का प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा है जो जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेखों में अविभाजित आराजी है जिसका विधि अनुसार विभाजन नहीं हो रखा है वादी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अविभाजित आराजी पर राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा काश्त निहित होता है जिसमें किसी भी काश्तकार को बिना विधिक विभाजन करवाये हिस्सा विशेष पर कब्जा करने व हिस्सा विशेष को विक्रय करने व मनचाहे स्थान पर दीगर को काबिज करवाने का कोई अधिकार नहीं है व बिना भूमि की किस्म परिवर्तित करवाये मनचाहे स्थान पर व्यावसायिक व आवासीय निर्माण करने का भी प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादी अपने हिस्सें की आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग कर शान्तिपूर्वक उपयोग करता आ रहा है किन्तु प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है तथा वह विवादित आराजी का बिना विधिवत् विभाजन करवाये अपने हिस्सें की आराजी का हिस्सा विशेष को मनचाहे स्थान पर लेकर उक्त आराजी में धारा 90 ए भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिना भूमि की किस्म को परिवर्तित करवाये निर्माण कार्य कर वादी को उसके हिस्सें की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है तथा व्यावसायिक व आवासीय निर्माण कर

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

मनमाफिक स्थान से उक्त आराजी को विक्रय करने पर उतारू है जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को बिना विभाजन करवाये निर्माण करने व हिस्सा विशेष भूमि पर कब्जा कर विक्रय करने से मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 07.05.16 को जबरन उक्त आराजी के हिस्सा विशेष मे निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण कर उतारू हुआ तथा मना करने पर झगड़ा फिसाद का आमादा हुआ व वादी को बेदखल करने की धमकी दी इस कारण यह वाद बाबत विभाजन आराजी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री नितिन कुमार सिकरवाल ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 4 की मृत्यु हो जाने पर प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का पेश किया गया जिसका प्रतिवादी ने जवाब पेश नहीं करके स्वीकार करने में कोई आपति नहीं की है अतः प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं0 4 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश न करने पर जवाब बन्द किया गया। वकील पक्षकारान ने वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बोन्डस एंव टीनेन्सी रूल्स 18 से 21 के अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी खं0नं0 583/2214 रकबा 16 बिस्वा वाकै करवा सांगरलेक तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का तकासमा किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बोन्डस एंव टीनेन्सी रूल्स 18 से 21 के अनुसार अलहदा अलहदा किया नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो में मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है तहसीलदार फुलेरा को 2 प्रतियो मे नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाये जाने हेतु लिखा जावे। प्राथमिक डिक्री परचा तैयार कर शामिल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 20.04.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगरलेक

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

गूरजकरण बनाम नारायणलाल वगै०

दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 332 / 16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू श्री तेजपाल प्रजापत व हाजरी श्री नितिन कुमार सिकरवाल मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी ख०नं० 583/2214 रकबा 16 बिस्वा वाकै कस्बा सांभरलेक तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० का तकासमा किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बोन्डस एंव टीनेन्सी रूल्स 18 से 21 के अनुसार अलहदा अलहदा किया नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो मे मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है ....

निज .... मुबलिग.............................. बाबत्.......................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.............................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..........................का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 04 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत..............
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेंत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner